बजट आवंटन /आयोजनागत
संख्या–104/ix/154/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्राण्ट एयरपोर्ट,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

परिवहन एवं नागरिक उडडयन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2008

विषयः– **प्रत्येक जनपद मे हैलीपैड के निर्माण योजनान्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के ग्राम डोबरा में हैलीपैड के निर्माण कार्य (पहुच मार्ग सहित) का प्रारभिक आगणन की बर्ष 2007–08 में प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यय की स्वीकृति ।**

महोदय

उपरोक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–1625/15–2(2) दिनांक 26 फरवरी, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न हैं) के कम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढवाल के ग्राम डोबरा में हैलीपैड के निर्माण कार्य (पहुच मार्ग सहित) हेतु अधिशासी अभियन्ता निर्माणखण्ड, लो0नि0वि,चम्बा (टिहरी गढवाल) के द्वारा गठित आगणन रू0 58.84 लाख (रू0 अठावन लाख चौरासी हजार मात्र) के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 48.78 लाख (रू0 अठतालीस लाख अठत्तर हज़ार मात्र) की लागत के आगणनों (प्रतिलिपि संलग्न हैं) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय बर्ष 2007–08 में इतनी ही धनराशि को निवर्तन पर रखी गई धनराशि में से व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1– उक्त धनराशि की आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है। बल्कि इस धनराशि का व्यय हेतु आहरण शासनादेश संख्या–298/ix/2007 दिनांक 30 नवम्बर 2007 एवं संख्या–323/ix/2007 दिनांक 27 दिसम्बर 2007 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से ही किया जायेगा। उसकी पृथक से व्यय की स्वीकृति नही दी जा रही है।

2– उक्त धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माणखण्ड, लो0नि0वि,चम्बा (टिहरी गढवाल) को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर पर्चेज नियमों का ध्यान रखा जाय।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा हैलीपैड के निर्माण के संबंध में सिविल एवियेशन कन्सल्टेन्ट के द्वारा सुझाावित सुरक्षा मानको को ध्यान में रखा जायेगा।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृति की गयी है।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए एवं इस संबंध में पूर्व मानको एवं स्टोर पर्चेस नियमों का पालन कडाई से किया जाए।

10– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv –291(2006) दिनांक 30–5–6 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने के कष्ट करें।

11–जी0पी0डब्लू फर्म–09 की शर्तो के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण ईकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12–इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेगे।

13–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

15–धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– स्वीकृति की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–08 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा यदि दिनांक 31–3–08 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

17–कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5–4–04 का अनुपालन किया जायेगा।

18–कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तरगत की करायी जाय किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

19–कार्यदायी संस्था/ईकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नही किया जायेगा।

20–कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य को निशिचित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्वता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाइ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमानपत्तन–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–04–हवाई पट्टी का सुद्ढीकरण एवं अन्य सम्बद्व निर्माण कार्य –00–24 वृहद निर्माण की मद के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 310/XXVII (2)/2008 दिनांक 20 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(पी0सी0 शर्मा,)
प्रमुख सचिव।

संख्या–184/ix /54/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तरॉचल ओबरॉय मोटर्स बिल्डिग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढवाल, मण्डल, पौडी।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, निर्माणखण्ड, लो0नि0वि0चम्बा (टिहरी गढवाल)।
8– अधिशासी अभियन्ता, निर्माणखण्ड, लो0नि0वि0द्वचम्बा (टिहरी गढवाल)।
9– वित्त अनुभाग–2
10– गार्ड फाईल।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

2813

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।